न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

दो अपीलें

पहली अपील

अपील संख्या :– 27/2005 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उन्वान :– 1. खजान सिंह पुत्र इन्दर सिंह जाति रायसिख निवासी बसईकलां तहसील किशनगढबास जिला अलवर । (फौत)

1/1. रेशमबाई पुत्री खजानसिंह

1/2. बिमला बाई पुत्री खजानसिंह

1/3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र खजानसिंह

1/4. बंतसिंह पुत्र खजानसिंह

1/5. कौशल्या पत्नी खजानसिंह

निवासीयान ग्राम बसईकलां तह0 किशनगढबास जिला अलवर

:– अपीलांट वादी

बनाम

1. प्रीतमसिंह पुत्र तारासिंह
2. सन्तोबाई पत्नी प्रीतमसिंह
3. जीतसिंह पुत्र तारासिंह
4. रांझासिंह पुत्र तारासिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

5. राजूसिंह पुत्र कपूरसिंह

6. राजेन्द्रसिंह पुत्र कपूरसिंह

7. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र कपूरसिंह

8. रमेश सिंह पुत्र जीतसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम बसईकलां तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

:----- रेस्पो0 असल प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी,किशनगढबास

दिनांक 30.3.2005

दूसरी अपील

अपील संख्या :- 60/2005 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :-

1. जनरेलि सिंह,
2. गोपालसिंह
3. खजानसिंह
4. भजनसिंह
5. लाभसिंह
6. करनेलसिंह पुत्रान इन्दरसिंह
7. जीतोबाई बेवाह करनेलसिंह
8. फूम्मनसिंह पुत्र करनेलसिंह
9. किशनसिंह पुत्र करनेलसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

10. मु0 लक्ष्मीबाई बेवाह करनेलसिंह जाति रायसिख निवासीयान ग्राम बसईकलां तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

:——————अपीलांट

बनाम

1. प्रीतमसिंह पुत्र तारासिंह
2. मायाबाई बेवाह कपूरसिंह
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र कपूरसिंह
4. जीतसिंह पुत्र तारासिंह
5. रांझासिंह पुत्र तारासिंह
6. राजू पुत्र कपूरसिंह
7. धर्मेन्द्र पुत्र कपूरसिंह जाति रायसिख निवासीयान ग्राम बसईकलां तहसील किशनगढबास जिला अलवर
8. तहसीलदार, किशनगढबास

:———————— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास

दिनांक 30.3.2005

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री गोविन्दराम यादव

2. वकील रेस्पो0 :— श्री परमानंद मेहरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 21.2.2017

1. चूंकि उपरोक्त दोनों अपीलें एक ही धारा 225 आर0 टी0 एक्ट के तहत एक ही आराजी को लेकर एक दूसरे पक्षकार के खिलाफ पेश की गई है तथा तहत न्यायालय द्वारा दोनों ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में एक साथ निर्णय किया गया है । अतः अदालत हाजा द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत न्यायालय में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के 2 प्रार्थना पत्र पेश हुये थे । प्रार्थना पत्र संख्या 6/2005 उनवान खजानसिंह बनाम प्रीतमसिंह वगैरा में प्रार्थी खजानसिंह ने निवेदन किया था कि विवादित आराजी प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी की गैर खातेदारी की है,जिस पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं । अप्रार्थीगण असल गैर काबिज गैर वास्ता है । उनका आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः उनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

प्रार्थना पत्र संख्या 7/2005 में प्रार्थीगण प्रीतमसिंह वगैरा ने निवेदन किया था कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण, तरतीबी अप्रार्थीगण तथा असल अप्रार्थीगण का 1/2, 1/2 हिस्सा है और इसी कदर पूर्व में आपसी बंटवारा हो चुका है । किन्तु असल प्रतिवादीगण के पिता ने परिवार का मुखिया होने के नाते आवंटन अपने नाम करा लिया, जबकि रजिस्ट्रेशन कार्ड में हमारे पिता का नाम भी दर्ज है । आराजी का पट्टा अप्रार्थी के नाम दर्ज होने से वह आराजी से हमको बेदखल करने पर उतारू है तथा आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमदा है । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । विद्वान तहत न्यायालय ने इन दोनों प्रार्थना पत्रों का निर्णय दिनांक 30.3.2005 किया जाकर दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था, जिसकी ये दोनों अपीलें पेश की गई है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में धारा 212 के प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि प्रीतमसिंह वगैरा का कोई वास्ता नहीं है । हम विवादित भूमि पर काबिज हैं । हमको गलत तौर पर पाबन्द किया गया है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि इनको गलत तौर पर अलोट की गई है । जबकि रजिस्ट्रेशन कार्ड में हमारे पिता का भी नाम दर्ज है । गलत इन्द्राज की आड़ में ये लोग आराजी को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है । इसलिये तहत न्यायालय से सही तौर पर पाबन्द किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । दोनों अपीलों के पक्षकार विवादित भूमि पर अपना अपना क्लेम कर रहे हैं । उनका आराजी में टाईटल सिद्ध होता है अथवा नहीं और अगर होता है तो कितना, इन बिन्दूओं का निर्धारण मूल वाद में तय होना है । हम यहां धारा 212 के प्रकरण का निस्तारण कर रहे हैं । जिसका मूल उद्देश्य दौरान विचारण वाद आराजी का परिरक्षण व संरक्षण करना तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद को रोकना है । आर0 आर0 डी0 2005 के पैरा नम्बर 12 में प्रतिपादित कियागया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति को किसी भी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान/हानि पहुंचाने या अन्तरित करने का खतरा अथवा भय हो तो ऐसी स्थिति में न्यायालय विवादित सम्पत्ति के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिये निवारक अनुतोष के रूप में यथास्थिति के आदेश दे सकता है । इसी प्रकार 2002 आर0 आर0 डी0 पेज 744 के पैरा नम्बर 07 में अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 212 का प्रयोजन भूमि को किसी भी प्रकार के हस्तांतरण से बचाना है, जब परिवार के सदस्यों के बीच वाद लम्बित हो तथा भूमि को हस्तांतरण किये जाने का भय हो तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है । चूंकि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं और आराजी पर अपना अपना क्लेम कर रहे हैं तथा अपना अपना कब्जा बता रहे हैं । ऐसी स्थिति में उनमें अनावश्यक विवाद बढने तथा आराजी का दुर्व्ययन होने, उसे नुकसान/हानि पहुंचाने या अन्तरित करने के खतरे की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा हर दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि हर दोनों अपीलें खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 6/2005 व 7/2005 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.3.2005 यथात रखा जाता है ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति हर दोनों अपीलों में संलग्न की जावे । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner